षोडश बिहार विधान सभा

पंचम सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-06.03.2017 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री श्याम रजक, स०वि०स० श्री अशोक कुमार सिंह, स०वि०स० (क्षेत्र संख्या-224) श्री रत्नेश सादा, स०वि०स० श्री मो० नवाज आलम, स०वि०स०	''राज्य के तीन नेत्रहीन दिव्यांग आवासीय विद्यालय यथा; पटना, दरभंगा एवं भागलपुर में से पटना और दरभंगा में कुल चौदह शिक्षकों के पद रिक्त है । राज्य में नेत्रहीन दिव्यांग का कोई भी +2 स्तर का विद्यालय नहीं है । नेत्रहीन दिव्यांग लड़कियों के लिए कोई सरकारी आवासीय विद्यालय नहीं है । अंतरज्योति बालिका विद्यालय, (कुम्हरार) पटना को 2008 से अनुदान नहीं मिला है । राज्य में 100% प्रतिशतता वाले नेत्रहीन दिव्यांगो को ही राइटर उपलब्ध कराने का प्रावधान है जबकि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा परीक्षा में 40% प्रतिशतता वाले दिव्यांगों को भी राइटर उपलब्ध कराने का निदेश है । अतएव नेत्रहीन विद्यालयों के रिक्त शिक्षक के पदों को भरने, पटना एवं दरभंगा के नेत्रहीन विद्यालय को +2 स्तर का करने, नेत्रहीन दिव्यांग लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालय खोलने, वन-ग्रेड / वन-क्लास के सिद्धान्त पर राइटर उपलब्ध कराने एवं 40 प्रतिशत वाले दिव्यांगों को भी राइटर उपलब्ध कराने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	शिक्षा

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
2.	श्री मो० नेमतुल्लाह, स०वि०स० श्री रामसेवक सिंह, स०वि०स० श्री गिरिधारी यादव, स०वि०स० श्री मो० आफाक आलम, स०वि०स० श्री भाई वीरेन्द्र, स०वि०स० श्री समीर कुमार महासेठ, स०वि०स० श्री शमीम अहमद, स०वि०स०	"राज्य के सभी उच्च एवं उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों के प्रबंध समिति का पदेन अध्यक्ष स्थानीय विधायक होते हैं । इन विद्यालयों के प्रबंध समितियों द्वारा स्थानीय विधायकों को बगैर संज्ञान में दिये हुए उपस्करों का क्रय किया जा रहा है । अत: राज्य के सभी उच्च एवं उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों की प्रबंध समिति में उपस्करों की खरीद से सम्बन्धित लिये गये निर्णय पर स्थानीय विधायकों की सहमति के उपरान्त क्रय सम्बन्धी प्रक्रिया पूरी कराने के लिए हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	शिक्षा

राम श्रेष्ठ राय
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-7/17- 1563-1574 /वि०स०, पटना, दिनांक-03 मार्च, 2017 ई० ।

प्रति:- बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्य मंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्री / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय, पटना / संसदीय कार्य विभाग तथा शिक्षा विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

पांडव कुमार सिंह 3/3/17
(पांडव कुमार सिंह)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-7/17- 1563-1574 /वि०स०, पटना, दिनांक-03 मार्च, 2017 ई० ।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रशाखा पदाधिकारी, सचिवीय कार्यालय को क्रमश: माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

पांडव कुमार सिंह 3/3/17
(पांडव कुमार सिंह)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।